न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान रामकुवार बनाम धन्ना वगै0

वाद संख्या–04/2006

दिनांक निर्णय–24.09.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

यह कि वाद पत्र में अंकित किये गये सजरा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही दादा की सन्तान है। दिनांक 12.01.79 को चरागाह ख0 नं0 1 मिन रकबा 2 बीघा, ख0 नं0 2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा चरागाह, ख0 नं0 3 रकबा 7 बीघा जिस पर वादीगण की माता का कब्जा था। आवंटन कमेटी द्वारा जर्ये नियमन चन्दी बेवा भोल्या जाति माली नि0 राजवास के नाम जर्ये नामान्तकरण सं0 17 दिनांक 12.01.79 के गैर खातेदार दर्ज किया गया था। वादीगण की माता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी धन्ना, गणपत, गंगाराम व भगवान्या आदि से मृतक नारायण को वारिसान बताकर अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिया। तहसील बसवा में भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान तत्कालीन ए. एस.ओ. के आदेश क्रमांक 618 दिनांक 28.06.96 के द्वारा वादी के पिता का नाम दुरूस्त करवाया जाना वाद पत्र में अंकित किया है। प्रतिवादीगण ने जानबुझकर आवंटन के दौरान वादीगण की मॉ का नाम चन्दी अंकित करवा दिया। चन्दी, धन्ना प्रतिवादीगण की औरत का नाम था। जो मौत हो चुकी है। धन्ना ने जानबुझकर मु0 चन्दी का नाम अंकित करवाया था। प्रतिवादीगण ... भूमि हस्तान्तरण बाबत वादीगण ने कही परन्तु प्रतिवादीगण साफ इन्कार ...। अन्त में वादीगण द्वारा वाद पत्र में जर्ये इश्तदुआ निवेदन किया कि प्रतिवादीगण चन्दी के वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.01.08 16:30:36 IST
Reason: SelfAttested

24/9/18
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

है। इस प्रकार इन्द्राज दुरूस्ती की जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की भी इश्तदुआ की है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ नकल खतौनी सं0 2052, नकल नामा0 सं0 17, नकल जमाबन्दी सं0 2018 पेश की गई है। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ला0 8 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसमें पैरा नं0 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है। स्वीकार नही है। ख0 नं0 1 में से केवल 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि चन्दी के नाम एलोट हुई थी। बाकी भूमि गणेश पुत्र धन्ना माली को एलोट हुई थी। जो ख0 नं0 1 में कुल रकबा 11 बीघा के करीब था। उक्त भूमि पर वादीगण कोई सम्बंध नही रहना जवाब दावे मे अंकित किया है। नामा0 सं0 17 सही भरा गया था जिसकी अपील भी अपील नं0 74/93 उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय में की गई थी जो खारिज होना अंकित किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में अंकित किया गया कि नामा0 सं0 618 दिनांक 28.6.96 को प्रतिवादीगण खातेदार घोषित हो चुके थे। भूमि मुतदाविया पर काजि रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अन्त में जवाब दावा में वाद पत्र के जिम्मनो को अस्वीकार किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के जवाब के उपरान्त दोनो पक्षो को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया। पत्रावली में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 11.07.2005 में वादीगण को खातेदार विवादित आराजी का घोषित किया गया है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसी उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. पेश करने पर निर्णय दिनांक 16.12.2005 को निर्णय दिनांक 11.07.2005 एवं एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 06.04.2005 के आदेश को अपास्त कर दिया गया एवं प्रतिवादीगण को पैरवी का अवसर दिया जाने के आदेश दिनांक 16.12.2005 को दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.01.08 16:30:36 IST
Reason: SelfAttested

25/9/14
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2005 की निगरानी राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 10.12.2013 को निगरानी खारिज की गयी है तथा उप जिला कलक्टर बांदीकुई के निर्णय दिनांक 16.12.2005 प्रकरण संख्या 119/2000 गणपत बनाम रामकुवार की पुस्टि की गई है। पत्रावली निगरानी से पुनः प्राप्त होने पर पक्षकारान को साक्ष्य ली गई तथा वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया गुण अवगुण के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि .विवादित आराजी ख0न03,4,23ला0 30 ,33,34,रकबा 2.73है.वाके ग्राम राजवास तहसील बसवा जिला दौसा का खातेदार धोषित किया जाता है। आदेश आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफतर हो ।

24/9/18

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.01.08 16:30:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner